उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2013 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 197

अमित कुमार सैनी .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रतिवादी

वर्तमान: श्री एस.पी.एस.पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एच.सी. पाठक द्वारा सहायता प्राप्त संशोधनवादियों/अभियुक्तों के लिए वकील।

श्री एसटी भारद्वाज, उप. श्री वी.एस.राठौर के साथ एजी, ब्रीफ होल्डर राज्य।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह आपराधिक पुनरीक्षण 2007 के आपराधिक मामले संख्या 844 "राज्य बनाम अमित कुमार" में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टेहरी, जिला टेहरी गढ़वाल द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.03.2013 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत पुनरीक्षणकर्ता को दोषी ठहराया गया है आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत पांच साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 420 के तहत चार साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 468 के तहत .3,000/- (तीन हजार रुपये मात्र) और धारा 471 के तहत 3,000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) के जुर्माने के साथ चार साल की सजा होगी।आईपीसी की, डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ। दिनांक 28.03.2013 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 13/2013 में अपील दायर की, जिसके द्वारा पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त को आईपीसी की धारा 420, 471 और 468 के तहत दोषी ठहराया गया । कारावास को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया, लेकिन दिनांक 19.07.2013 के आदेश द्वारा जुर्माना बरकरार रखा गया। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडब्लू-3 भगवत शरण आज़ाद ने थाना नई टेहरी में रिपोर्ट दर्ज करायी आरोप के साथ कि जिला टिहरी में पुलिस कांस्टेबल और पीएसी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती विज्ञापन संख्या डीजी-सात-31-2005 दिनांक 21.01.2006 के माध्यम से 125 पुरुष पुलिस कांस्टेबल, 70 पीएसी और 14 महिला पुलिस की भर्ती के लिए विज्ञापित की गई थी। सिपाही. उस विज्ञापन के विरुद्ध अपीलकर्ता ने आवेदन किया था, वह शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए योग्य था, बाद में उसे नियुक्ति के लिए चुना गया था। उनकी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग ने अभ्यर्थियों से कहा कि 10 रुपये के स्टांप पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र जमा कराया जाए. यह सूचित किया गया था कि इसे सावधानीपूर्वक भरना होगा, उसने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और इस तथ्य को छुपाया कि धारा 452 , 323 , 406 के तहत एक मामला अपराध संख्या 192/2003 है।पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली रूड़की में धारा 325 व 308 आईपीसी पंजीकृत किया गया। मामले की जांच तत्कालीन सर्किल ऑफिसर श्री बीके जुइयाल द्वारा की गई और यह पाया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने खिलाफ मामला दर्ज करने की बात छिपाई।

3. जांच के बाद, जांच अधिकारी ने संबंधित अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. अपराध से इनकार करने पर, अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों यानी पीडब्लू-1 कांस्टेबल सीपी दर्शन लाल, पीडब्लू-2 रामानंद बधानी, वकील, पीडब्लू-3 एसआई (एम) भगवत शरण आजाद, पीडब्लू-4 एसआई हुकुम सिंह से पूछताछ की। रौथाण, पीडब्लू-5 सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार जुयाल, पीडब्लू-6 बाबूराम और पीडब्लू-7 एसआई ऋषिराम। इसके बाद पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया , जिसमें उसने अपराध से इनकार किया।

5. माना कि उत्तराखंड राज्य के गृह विभाग में कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. गृह विभाग, उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में, पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और अंततः उसे उत्तराखंड राज्य के गृह विभाग में कांस्टेबल के रूप में चुना गया।

6. प्रशिक्षण अवधि के दौरान गृह विभाग ने अभ्यर्थियों से 10 रुपये के स्टांप पर एक शपथ पत्र देकर विभाग को अभ्यर्थियों के खिलाफ लंबित

आपराधिक मामलों की जानकारी देने को कहा है. संशोधनकर्ता/अभियुक्त ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने "शून्य" शब्द लिखा है।

7. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के बाद यह प्रकाश में आया कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोतवाली में आईपीसी की धारा 452 , 323 , 406 , 325 व 308 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 192/2003 दर्ज किया गया था। रूड़की, जिला हरिद्वार, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अभियोजन गवाह गवाही नहीं देता था। पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त को बरी करने का आदेश पारित किया गया और मामले को अपील में नहीं लिया गया।

8. पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त ने इस तथ्य के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की कि उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुनरीक्षणकर्ता को गलत शपथ पत्र भरने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार किया कि पुनरीक्षणकर्ता ने धोखाधड़ी करके झूठा हलफनामा दिया है और पुनरीक्षणकर्ता को आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और तदनुसार सजा सुनाई गई है।

9. संशोधनवादी/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.पी.एस.पंवार ने प्रस्तुत किया कि गृह विभाग, उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रदान किया गया शपथ पत्र का प्रारूप अस्पष्ट और विरोधाभासी था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि पुनरीक्षणकर्ता ने ईमानदारी से गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार शपथ पत्र भरा। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.पी.एस.पंवार ने आगे तर्क दिया कि चूंकि हलफनामे का प्रारूप अस्पष्ट था और शर्तें विरोधाभासी थीं, इसलिए, कई उम्मीदवारों ने हलफनामे ईमानदारी से भरे क्योंकि कोई भी हलफनामे की स्पष्ट भाषा नहीं समझ सकता था। उन्होंने आग्रह किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना शपथ पत्र जमा किया है, वे शपथ पत्र की भाषा नहीं समझ पाते हैं और हालांकि उन पर आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं.

10. संशोधनवादी/अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि श्री महेंद्र सिंह करायत नामक व्यक्ति ने इस न्यायालय के समक्ष 2014 की डब्ल्यूपीएसबी संख्या 53 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 05.03.2014 के आदेश के तहत अनुमति

दी थी। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 05.03.2014 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"शपथपत्र पर एक नज़र डालने से पता चलेगा कि यह विभाग द्वारा आपूर्ति किया गया एक मुद्रित था। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 4 में, यह कहा जाना था कि हलफनामा देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया गया है। पैराग्राफ 6 में , यह कहा गया था कि यदि कोई पुलिस मामला दर्ज किया गया है, तो उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा और यदि नहीं, तो 'शून्य' शब्द इंगित करना होगा। हलफनामे के पैराग्राफ 4 में कहा गया था कि कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया गया है पंजीकृत, पैराग्राफ 6 में, यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस मामला दर्ज किया गया है।

हलफ़नामा इतना भ्रमित करने वाला और अर्थहीन था कि उसने वास्तव में संबंधित व्यक्ति को सच बोलने की अनुमति ही नहीं दी। उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 7 में उन मामलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था और उसके बाद उसे दोषी पाया गया, दंडित किया गया या आरोपमुक्त कर दिया गया। उपर्युक्त कारणों से, पैराग्राफ 4 में जो कहा जाना आवश्यक था, वह बताने के बाद, पैराग्राफ 7 के संदर्भ में कोई जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी। अनुच्छेद 4 और 7 एक दूसरे के विपरीत हैं और पूरी तरह से भ्रामक हैं।"

11. इस न्यायालय की खंडपीठ ने गलत शपथ पत्र भरने पर रिट याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि इसमें विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को दिए गए शपथ पत्र में विसंगतियों और विरोधाभासों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। .

12. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत नीचे की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई: -

" धारा 420। धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना। - जो कोई धोखाधड़ी करता है और इस तरह बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान सुरक्षा या किसी भी चीज के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। जो हस्ताक्षरित या सीलबंद है, और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित

किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 468 . धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी--जो कोई भी इस इरादे से जालसाजी करता है कि [जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे किसी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना होगा।

धारा 471 . जाली दस्तावेज़ [या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को असली के रूप में उपयोग करना।-- जो कोई धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दस्तावेज़ [या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] को असली के रूप में उपयोग करता है जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास जाली दस्तावेज़ [या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] होने का विश्वास करने का कारण है, उसे दंडित किया जाएगा। उसी तरह जैसे कि उसने ऐसा दस्तावेज़ [या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड] जाली बनाया हो।"

13. अपील में, आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत पुनरीक्षणवादी/अभियुक्त की सजा को घटाकर एक साल की कैद कर दी गई है, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा गया है।

14. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनना। हालाँकि इस न्यायालय को साक्ष्यों की सराहना करने में धीमा होना चाहिए, लेकिन यह न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में मामले के उचित निर्णय के लिए साक्ष्यों की फिर से सराहना करने में बहुत सक्षम हो सकता है। तथ्य यह है कि इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या नीचे के न्यायालयों द्वारा कोई अवैधता की गई है। पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निचली अदालतों ने आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को अवैध रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। , जिसके लिए धारा 420 , 468 की कोई भी सामग्री नहीं हैऔर मामले में आईपीसी की धारा 471 लगती है। इस कोर्ट की नजर में ज्यादा से ज्यादा यह गृह विभाग को गलत जानकारी देने का मामला हो सकता है, लेकिन इसे धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने का मामला नहीं कहा जा सकता। इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि निचली अदालतों ने आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत संशोधनवादी/अभियुक्त को दोषी ठहराने और सजा देने में पेटेंट अवैधता की है। इसके अलावा, श्री महेंद्र सिंह करायत (सुप्रा) मामले में

इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का इस न्यायालय पर बाध्यकारी प्रभाव है।

15. इस न्यायालय के विचार में, निचली अदालतों ने आईपीसी की धारा 420 , 468 और 471 के तहत पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त को दोषी ठहराने में घोर अवैधता की है।

16. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है। नीचे की अदालतों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 28.03.2013 और 19.07.2013 को रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है।

17. इस निर्णय की एक प्रति आगे के अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

18. निचली अदालत का रिकॉर्ड भी संबंधित अदालत को वापस भेजा जाएगा।

(लोकपाल सिंह, जे.)
15.01.2021